गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपकरणों की खरीददारी

251. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने बी० एच०ई० एल० से किस-किस प्रकार के उपकरण खरीदे थे तथा इस संबंध में बोर्ड की तरफ अभी कितना राशि बकाया है; और

(ख) सिक्का और बांधर विद्युत केन्द्रों द्वारा किस-किस तारीख को कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किये जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत् विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एच० बी० जे० पाइपलाइन द्वारा गैस की सप्लाई

252. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को एच० बी० जे० पाइप लाइन से गैस प्राप्त होगी तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी मात्रा में गैस दी जाएगी ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों को प्रस्तावित गैस की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है जो गुजरात में उन स्थानों के 25 किलोमीटर दूर के भीतर पड़ते हैं जहां से पाइप लाइन गुजरती है; और

(ग) क्या ऐसी कोई मांग की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) निम्नलिखित छः उर्वरक संयंत्रों तथा तीन बिजली घरों को गैस सप्लाई की जाएगी :--

1. **गुजरात**: फाल बैक के आधार पर एक बिजली घर को 2 एम एम सी एम डी की दर से गैस सप्लाई की जाएगी ।

2. **राजस्थान** : एक बिजली घर और एक उर्वरक संयंत्र को 3.25 एम एम सी एम डी की दर से जैसे देने का वचन दिया गया है ।

3. **मध्य प्रदेश** : एक उर्वरक संयंत्र के लिए 1.5 एम एम सी एम डी गैस देने का वचन दिया गया है ।

4. **उत्तर प्रदेश** : चार उर्वरक संयंत्रों तथा एक बिजली घर को कुल 8.25 एम एम सी एम डी की दर से गैस देने का वचन दिया गया है ।

(ख) और (ग) एच बी जे पाइपलाइन के साथ गैस के फालबैक उपभोक्ताओं को खोजने के लिए गैल कार्रवाई कर रहा है ।

गैस निगम की स्थापना

253. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस का उत्पादन करने वाले गुजरात तथा असम राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से गैस निगम की स्थापना करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?